

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 280/2021

अनवान :

योगेश सहू पुत्र हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम


1. हनुमानप्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।
2. कोमल पुत्री हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिए शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोवीन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 14/7 के खसरा सं० 247 की 2.947 है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हनुमानप्रसाद के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 हनुमानप्रसाद का नाम कलमजन कर वादी योगेश सहू को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.9.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़